	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

फाल्गुन 7, शुक्रवार, *शाके* 1942–फरवरी 26, 2021
Phalguna 7, Friday, Saka 1942- February 26, 2021

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

आदेश

जयपुर, फरवरी 26, 2021

संख्या एफ.3(1)(9)प्रथम/निर्वा/2019/971 :– भारत निर्वाचन आयोग का निम्न आदेश संख्या 76/राज./लो.स./2019 दिनांक 19 फरवरी, 2021 सर्व साधारण के सूचनार्थ पुनः प्रकाशित किया जाता है।

(प्रवीण गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 19 फरवरी, 2021
30 माघ, 1942 (शक)

आदेश

सं. 76/राज.-लो.स./2019 यतः, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे तालिका के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तालिका के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, जो तालिका के स्तंभ (3) में अपने नाम के सामने निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़े थे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेश के अन्तर्गत यथापेक्षित रीति जैसा कि उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में दर्शाया गया है, से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् नोटिस दिए जाने के बावजूद, उक्त विफलता के लिए कोई कारण व स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त विफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, अधोलिखित सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की

अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने के लिए निरर्हित घोषित करता है:-

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचनों का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019	5- सीकर	श्री भगवान सहाय, बाई का बास, तहसील-चौमू, जिला-जयपुर	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
2.	लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019	5- सीकर	श्री अंकुर शर्मा, 6, न्यू अरविन्द नगर, उत्त्तरी सुन्दरवास उदयपुर (राज0)	विधि अनुसार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
3.	लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019	09-भरतपुर	श्री तेजवीर सिंह, म0 न0-142, गिराई लाईन पोलिस, भरतपुर	विधि अनुसार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
4.	लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019	12-टोंक सवाईमाधोपुर	श्री मुकेश कुमार, वार्ड नं. 18, पशु चिकित्सालय के पास, एजेन्सी एरिया, देवली, जिला टोंक	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
5.	लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019	12-टोंक सवाईमाधोपुर	श्रीमती प्रेम लता बंशीवाल, बडा बेडा वार्ड न. 24 टोंक (राज.) हाल R/o मकान न. A1/278 पश्चिमी विहार	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।

आदेश से,

राहुल शर्मा
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

3	-do-	09- Bharatpur	Sh. Tejveer Singh, House No. 142, Giraie Line Police, Bharatpur.	Failure to lodge account of election expenses in the Manner as required by law.
4	-do-	12- Tonk-Sawai madhopur	Sh. Mukesh Kumar, Ward No. 18, Opp. Pashu Chikitsalaya Agency Area, Deoli, Dist. Tonk.	Failure to lodge account of election expenses.
5	-do -	12- Tonk-Sawai madhopur	Smt. Prem Lata Banshiwal, Bada Beda Ward No. 24 Tonk (Raj.) Per. R/o House No. A1/278 Paschimi Vihar Delhi.	Failure to lodge account of election expenses.

By Order,

RAHUL SHARMA
SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 19th February, 2021
30 Magha, 1942 (Saka)

ORDERs

No. 76/RJ-HP/2019:- Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Lok Sabha, 2019 as specified in Column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge an account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Order made there under; as shown in column (5) of the said Table; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order: -

TABLE

Sr. No.	Particulars of Election	No. and Name of Constituency	Name and address of contesting candidate	Reasons for disqualification
1.	2.	3.	4.	5.
1.	General Election to the Lok Sabha, 2019	05-Sikar	Sh. Bhagwan Sahay, Bai Ka Bas, Tehsil-Chomu, Distt.-Jaipur.	Failure to lodge account of election expenses.
2.	-do-	05-Sikar	Sh. Ankur Sharma, 6, New Arvind Nagar, North Sunderwas Udaipur (Raj.)	Failure to lodge account of election expenses in the Manner as required by law.